

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 38
राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	114188.76	23774.10	137962.86	152946.22	19823.28	172769.50	153999.88	25100.00	179099.88	196854.80	25100.00	221954.80
वसूलियां	-2666.97	...	-2666.97	-2480.00	...	-2480.00	-2790.00	...	-2790.00	-2930.00	...	-2930.00
प्राप्तियां	-1800.16	-14351.41	-16151.57	-2480.00	-12362.05	-14842.05	-2790.00	-18072.88	-20862.88	-2930.00	-15647.35	-18577.35
निवल	109721.63	9422.69	119144.32	147986.22	7461.23	155447.45	148419.88	7027.12	155447.00	190994.80	9452.65	200447.45
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
वित्त आयोग अनुदान												
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान												
1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	34582.00	...	34582.00	34206.00	...	34206.00	28313.50	...	28313.50	30000.00	...	30000.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	9658.13	...	9658.13	10343.85	...	10343.85	10937.63	...	10937.63	20000.00	...	20000.00
3. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
3.01 ग्रामीण निकाय	35063.89	...	35063.89	52557.60	...	52557.60	58615.66	...	58615.66	69924.79	...	69924.79
3.02 शहरी निकाय	14399.56	...	14399.56	23358.77	...	23358.77	25843.09	...	25843.09	30000.00	...	30000.00
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	49463.45	...	49463.45	75916.37	...	75916.37	84458.75	...	84458.75	99924.79	...	99924.79
4. अन्य अनुदान	0.01	...	0.01
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	93703.58	...	93703.58	120466.22	...	120466.22	123709.88	...	123709.88	149924.80	...	149924.80
जोड़-वित्त आयोग अनुदान	93703.58	...	93703.58	120466.22	...	120466.22	123709.88	...	123709.88	149924.80	...	149924.80
अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण												
5. विशेष सहायता	4685.81	...	4685.81	15000.00	...	15000.00	4000.00	...	4000.00	15000.00	...	15000.00
6. संविधान के भाग IX और I X में शामिल न किए गए क्षेत्रों को अनुदान	475.29	...	475.29	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00
7. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	2824.08	...	2824.08	4500.00	...	4500.00	3000.00	...	3000.00	4000.00	...	4000.00
8. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	23774.10	23774.10	...	19723.28	19723.28	...	25000.00	25000.00	...	25000.00	25000.00
	...	-14351.41	-14351.41	...	-12262.05	-12262.05	...	-17972.88	-17972.88	...	-15547.35	-15547.35
निवल	...	9422.69	9422.69	...	7461.23	7461.23	...	7027.12	7027.12	...	9452.65	9452.65
9. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
9.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	2500.00	...	2500.00	2480.00	...	2480.00	2790.00	...	2790.00	2930.00	...	2930.00
9.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-2.36	...	-2.36	-545.00	...	-545.00	-890.00	...	-890.00	-930.00	...	-930.00
9.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-1797.80	...	-1797.80	-1935.00	...	-1935.00	-1900.00	...	-1900.00	-2000.00	...	-2000.00
<i>निवल</i>	<i>699.84</i>	<i>...</i>	<i>699.84</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
10. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता												
10.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	20000.00	...	20000.00	25000.00	...	25000.00
10.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-2500.00	...	-2500.00	-2480.00	...	-2480.00	-2790.00	...	-2790.00	-2930.00	...	-2930.00
<i>निवल</i>	<i>7500.00</i>	<i>...</i>	<i>7500.00</i>	<i>7520.00</i>	<i>...</i>	<i>7520.00</i>	<i>17210.00</i>	<i>...</i>	<i>17210.00</i>	<i>22070.00</i>	<i>...</i>	<i>22070.00</i>
11. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण पहले	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00
	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
12. वास्तविक वमूलियां	-166.97	...	-166.97
जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण	16018.05	9422.69	25440.74	27520.00	7461.23	34981.23	24710.00	7027.12	31737.12	41070.00	9452.65	50522.65
कुल जोड़	109721.63	9422.69	119144.32	147986.22	7461.23	155447.45	148419.88	7027.12	155447.00	190994.80	9452.65	200447.45
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. विविध सामान्य सेवाएं	-165.00	...	-165.00
जोड़-सामान्य सेवाएं	-165.00	...	-165.00
सामाजिक सेवाएं												
2. प्राकृतिक आपदा राहत	8199.84	...	8199.84	7520.00	...	7520.00	17210.00	...	17210.00	22070.00	...	22070.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	8199.84	...	8199.84	7520.00	...	7520.00	17210.00	...	17210.00	22070.00	...	22070.00
अन्य												
3. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	101686.79	...	101686.79	140466.22	...	140466.22	131209.88	...	131209.88	168924.80	...	168924.80
4. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	9422.69	9422.69	...	7461.23	7461.23	...	7027.12	7027.12	...	9452.65	9452.65
जोड़-अन्य	101686.79	9422.69	111109.48	140466.22	7461.23	147927.45	131209.88	7027.12	138237.00	168924.80	9452.65	178377.45
कुल जोड़	109721.63	9422.69	119144.32	147986.22	7461.23	155447.45	148419.88	7027.12	155447.00	190994.80	9452.65	200447.45

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** वित्त आयोग ने केंद्रीय करो में प्रत्येक राज्य की साझेदारी तय कर दी है तथा राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों पर आधारित प्रत्येक राज्य की राजस्व घाटा अनुदान को अनुमानित किया है। अनुमानित पूर्व विचलन राजस्व घाटे तथा प्रत्येक राज्य के हिस्से के आधार पर आबंटन किया गया है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।

3. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान किए गए हैं।

4. **अन्य अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य विभिन्न अनुदानों के लिए आवंटन कर दिया गया है।
5. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) बकाया प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् बजट प्रावधान नहीं किया जाता है और (ख) राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।
7. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। अप्रैल, 2005 से, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर विदेशी सहायता के उसी रूप में अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिसके तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर विदेशी सहायता दी जाती है जिन पर यह दाता एजेंसियों से केन्द्र सरकार को प्राप्त होती है। राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।
8. **विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूंजी भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मेजर हेड 6002 के तहत बनाई गई है।
- 9.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।
- 10.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से धनराशि की पूर्ति के लिए गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात् तत्काल राहत के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
11. **राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण पहले:** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।